## महत्वपूर्ण एवं खास

### दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास का दंड

**न्यायसाक्षी /रायगढ़।** शनिवार 23 फरवरी को माननीय फास्ट ट्रेक कोर्ट रायगढ़ द्वारा पास्को एक्ट के प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है । घटना वर्ष 2018 की है । प्रकरण के आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका को डरा धमकाकर दुष्कर्म करना अपराध सबूत पाये जाने पर विद्वान न्यायाधीश श्रीमती सरोजनंद दास द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास व 2,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है । उल्लेखनीय है कि मामले में 06 माह के अंदर न्यायालय से निर्णय आया है ।

### मेला देखने गई बालिका लापता

**न्यायसाक्षी/ रायगढ़।** शनिवार 23 फरवरी को थाना कोतवाली में 17 वर्षीय बालिका के पिता ने अपनी लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराया है । बालिका के पिता ने बताया कि दिनांक 15.02.18 को रिस्तेदारों के साथ मेला देखने ओडिसा गई थी, दिनांक 18.02.19 को सभी मेला से वापस आ गये किन्तु बालिका वापस नहीं आयी , रिस्तेदारों ने बताया कि बालिका अपने घर जाने के लिये अकेली निकल गई थी । खोजबिन में बालिका का पता नहीं चला है । बालिका के गुम होने की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अप.क्र. 142/19 धारा 363 ता.हि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

### हाईवा वाहन की बैटरी व टायर चोरी

**न्यायसाक्षी/ रायगढ़।** ग्राम बोतल्दा में रहने वाला नरेश पटेल द्वारा थाना भूपदेवुपर में हाईवा से चार नग बैटरी एवं 02 नग टायर डिस्क सहित चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है , रिपोर्टकर्ता ने बताया कि इसके पिता के नाम पर बोतल्दा में अर्थ मूवर्स नाम का फर्म है जिसके लिये दो नया हाईवा वाहन लिये हैं, हाइवा वाहन कुरूभांठा चौक में कपिल देव नायक के घर पर खड़ी थी , जिसका 04 नग बैटरी व 02 नग टायर ष्टश्वञ्ज कंपनी का डिस्क सहित कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था । चोरी के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 44/19 धारा 379 ता.हि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

### वन अधिकारों की मान्यता के संबंध में कार्यशाला 25 फरवरी को

**न्यायसाक्षी/रायगढ़।** अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के संबंध में 25 फरवरी को दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष रायगढ़ में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।

### 17 लावारिस दोपहिया वाहनों के लिए 7 मार्च तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

**न्यायसाक्षी/ रायगढ़।** चौकी प्रभारी खरसिया द्वारा विभिन्न प्रकार के 17 दो-पहिया वाहन क्षतिग्रस्त पुराना लावारिश हालत में पाया गया है। उक्त वाहन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को अपना मालिकाना हक प्रस्तुत करना हो तो वे समस्त दस्तावेज के साथ 7 मार्च 2019 तक अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय खरसिया में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।

### प्रत्येक मतदान केन्द्र में 2 एवं 3 मार्च को विशेष अभियान

**न्यायसाक्षी/ रायगढ़।** भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पात्र मतदाताओं के पंजीयन हेतु 2 एवं 3 मार्च को जिले के सभी मतदान केन्द्रों में विशेष अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर मतदान केन्द्रों में बूथ लेवल अधिकारी निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन 2019 की प्रतियों के साथ उपस्थित रहेंगे। बूथ लेवल अधिकारी के पास प्रपत्र 6, 7, 8 एवं 8 क' पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेंगे।

# रिहेब फाउंडेशन के प्रयासों से दो महिलाओं की घर वापसी

**न्यायसाक्षी/रायगढ़।** तेजी से आधुनिक होते हुए हमारे इस समाज में मानवीय संवेदनाए खोजे नही मिल रहीं हैं। लोग इतने अधिक अव्यवहारिक हो चुके हैं,कि वे अपरिचितों से तो दूर अपनों से भी दुर्व्यवहार करने से नही चूकते हैं। परन्तु आज भी समाज मे कुछ ऐसे गिनती के लोग हैं, जिन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने से ज्यादा दूसरों की भलाई की चिंता रहती है। वे अपने जीवन का एक बड़ा समय समाज के दबे-कुचले, असहाय, वृद्ध, अपाहिज, बीमार और अस्वीकार किए गए लोगों को न केवल स-सम्मान अपनाते है, बल्कि पूरे मानवीय भाव से उनका सेवा-सत्कार भी करते है।

रायगढ़ जिला मुख्यालय में एक ऐसा ही परिवार रहता है, जिसके लगभग सभी सदस्य समाज-सेवा के लिए जिले भर में पहचाने जाते है। इस परिवार के दम्पति के द्वारा मुख्यालय के लोचन नगर स्थित अपने पैतृक मकान में ही पिछले कई सालों से रिहैब फाउन्डेशन नाम की एक सामाजिक संस्था का संचालन किया जा रहा है। इस संस्था को मुख्य रूप से लोचन नगर निवासी फिलिप्स दम्पति चलाते हैं। वैसे तो इस फाउंडेशन के माध्यम से फिलिप्स दम्पती ने अनेक प्रसंशनीय कार्य कर चुके है। परन्तु इन कार्यों में दिनांक 21 फरवरी 2019 को इस संस्था के द्वारा किया एक ऐसा कार्य बेहद चर्चित हो रहा है, जिसके अन्तर्गरत दो विक्षिप्त महिलाओं की सेवा कर उन्हें वापस पूर्व हालात में लाकर उनके परिजनों से मिलाया गया। यह पूरी कार्यवाही एड.एस.पी. रायगढ़ हरीश राठौर के समक्ष पूर्ण कराई गई। इसके सम्बन्ध में बताते हुए फाउंडेशन की मुख्य कर्ता-धर्ता श्रीमती जस्सी फिलिप्स ने कहा कि यह दो महिलाएं जिनका नाम ठगु बाई उम्र 75 वर्ष पति देवराम निवासी कुरूंगी धुले महाराष्ट्र एवं किरण साहू उम्र 42 वर्ष निवासी महासमुंद की रहने वाली थी। इनमे पहली महिला को उनकी संस्था में मेकाहारा अस्पताल से 19/02/19 को भेजा गया था । उक्त वृद्ध महिला को संजीवनी में 108 के कर्मचारियों के द्वारा एडमिट 13/02/19 को कराया गया था।

वही दूसरी महिला किरण साहू को सामाजिक कार्य करने वाले ऑटो चालक इरशाद आलम ने संस्था के पास रेल्वे

**शहर की प्रतिष्ठित समाजिक सेवी संस्था के कार्यों की सर्वत्र हो रही प्रशंसा**

**इरशाद आलम**
किरण को रिहेब लाने वाला समाज सेवी आटो चालक

**किरण**
रिहेब आने से पूर्व

**किरण**
रिहेब में कुछ दिन रहने के बाद, घर वापस जाती हुई

स्टेशन के आसपास लावारिस घूमता हुआ देखकर लाया था। इरशाद आलम ने महिला के विषय मे बताया कि महिला विक्षिप्त अवस्था मे स्टेशन के पास घूम रही थी, तब उनकी नजर महिला पर पड़ी। उन्हें लगा कि कहीं स्टेशन के आसपास घूमने वाले असामाजिक लोग महिला के सांथ दुर्व्यवहार न कर दें, ये सोच कर उन्होंने महिला को अपने ऑटो में बैठाकर सीधे उसे (किरण) को रिहैब कार्यालय पहुंचाया। किरण के संबन्ध में आगे बताते हुए जस्सी फिलिप ने कहा कि जब किरण आफिस आई तो उसके बाल फै ले हुए थे,अस्त-व्यस्त हालात में वो फ़टे और गंदे कपड़ो में बड़ी अजीब सी लग रही थी। उसे फाउंडेशन भवन में रखकर पहले तो उन्होंने उसकी उचित देखभाल करते हुए उसका इलाज करवाया। कुछ दिन विशेष देखभाल के बाद किरण सामान्य होने लगी। लेकिन प्रारम्भिक दिनों में उसने उन्हें बहुत परेशान किया। वह असहज व्यवहार करते हुए कहीं भी शौच वगैरह कर देती थी। फाउंडेशन में कार्यरत स्वयंसेवियों ने उसका विशेष ख्याल रखकर उसके इलाज में सहयोग किया। परिणाम स्वरूप किरण वापस ठीक होने लगी। फिर उसे अपना घर पता याद आ गया। उसके बताये पते पर सम्पर्क करने पर उसके परिजन भी मिल गए। इधर सामान्य होने पर किरण को इलाज के अलावा फाउंडेशन की सहायता से उसे लेडिस ब्यूटी पार्लर भेज कर उसका काया-कल्प करवाया गया। किरण ने उन्हें बताया कि वो एम.ए. इकोनॉमिक्स और बी.एड. उत्तीर्ण है उसने कम्प्यूटर की शिक्षा भी प्राप्त की है। वह एक स्कूल में अध्यापिका रही है,उसकी वास्तविक उम्र 42 वर्ष है। वह अविवाहित है,घर वालों ने सरकारी नौकरी वाले लड़के की खोज में समय रहते उसका विवाह समय पर नही किया।

जबकि 75 वर्षीय विक्षिप्त मराठी महिला ठगुबाई जब उनके पास आई तो बात-बात में गाली गलौज करती थी। वह न तो हिंदी भाषा जानती थी,न ही उसकी बोली उन्हें समझ आती थी। वह जब नाराज होती थी गुस्से में जहां बैठती थी, वही मल-मूत्र कर देती थी। उसे भी सामान्य हालत में लाने में रिहैब के हर सदश्य कड़ी मेनहत और सेवा किया तब जा कर वह ठीक हो पाई।

इन बातों के इतर आज उन्हें इस बात की खुशी है कि दोनों महिलाओं के परिजनों का समय पर पता चल गया, और आज दिनांक 21 फरवरी 2019 को दोनो महिलाएं सामान्य अवस्था मे एड. एस पी साहब के सामने अपने घरवालों के सांथ अपने वापस अपने घर वापस जा रही है। इधर पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिलाओं को लेने आये व्यक्तियों के नाम राजेन्द्र देवराम हरल, जितेंद्र शंकर हरल, गणेश देवीदास लोहार,नामदेव लोहार था।

रिहैब फाउंडेशन के यह काम बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। उन्होंने जिस जिम्मेदारी से इन महिलाओं की सेवा की है वह तारीफ के योग्य है। रायगढ़ पुलिस और रिहैब के सतत प्रयास से पीड़ित महिलाओं को आज उनके परिजनों के सुपुर्द किया जा रहा है। इस तरह के काम से जिले की दूसरी समाज सेवी संस्थाओं को सीख लेनी चाहिए।

**एडएसपी हरीश राठौर**
**रायगढ (छ.ग.)**

### 76 लाख के बहुचर्चित बैंक डकैती कांड के आरोपी बरी

**न्यायसाक्षी/रायगढ़।** साल 2010 में शहर में हुए बहुचर्चित आईसीआईसीआई बैंक डकैती कांड के मामले में आखिरकार आरोपी बाइज्जत बरी हो गए। शहर में हुए इस बैंक डकैती कांड को लेकर एकबारगी दहशत व्याप्त हो गया था। मामला 76 लाख की डकैती का था, लेकिन आज न्यायालय के द्वारा सबूतों के अभाव में तीन आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस मामले में न तो बैंक के अधिकारी कर्मचारी आरोपियों की पहचान कर पाए दर असल इन्हें सन्देह के आधार पर पकड़ा गया था जिन्हें आज न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया। यह घटना में जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी सभी तीनो आज इस डकैती कांड के आरोपो से मुक्त कर दिए गए। रायगढ़ के आईसीआईसी बैंक मोदीनगर कांप्लेक्स स्थित ढिमरापुर रोड रायगढ़ में 4 अक्टूबर 2010 की दोपहर 12ः55 में तीन नकाबपोशओं के द्वारा 76 लाख की डकैती की गई थी। जिसमें 3 को आरोपी बनाया गया था, विक्की साहू सैयद जफर सुबोध सिंह इन पर धारा 342,347, 394, 201 भारतीय दंड विधान तथा 25 /27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इस डकैती कांड की विवेचना सुशांतो बनर्जी तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली ने की थी, गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई थी।

### मतदान के प्रति जागरूकता के लिए किसानों ने बनाया मतदाता चक्र

**न्यायसाक्षी/रायगढ़।** जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने आज मिनी स्टेडियम में कृषक एवं कृषक मित्र प्रशिक्षण सम्मेलन एवं स्वीप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 1500 किसानों ने मिलकर मानव श्रृंखला बनाकर मतदाता चक्र का निर्माण किया एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 में मताधिकार के कर्तव्य का प्रयोग करने के लिए शपथ ली। इस अवसर पर सम्मेलन में कृषि से संबंधित विभाग कृषि, उद्यान, पशुधन विकास विभाग, मत्स्य विभाग के अधिकारी तथा कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा विभागीय योजना की जानकारी कृषकों को दी गई।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

**Social Justice Union**

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

**अधिकार से न्याय तक**

**आवश्यकता**

इस संघ का गठनतमपूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं मार्गदर्शन बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुरे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे निश्चित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य सथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

**उद्देश्य एवं नियुक्तियां**

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

**मुख्य बिन्दु**

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

**पीड़ित संपर्क करें**

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

**अन्य बिन्दु**

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं सांवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा सांवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिटर्न कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

**CAREER SCHOOL**

HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...

**ADMISSION OPEN**

ENGLISH MEDIUM

For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

Topper Students Last Session

Join CAREER...

**Major Facts**

1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

**CAREER SCHOOL**
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

**तत्काल आवश्यकता है**

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

**ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग**

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480